चौ0स0कु0 हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर
सामान्य प्रशासन शाखा" 29766-86 25 JUN 2018

पृष्ठांकन संख्या. क्यू.एस.डी.8–28/2017/सी.एस.के.हि.प्र.कृ.वि. (सा.प्र.)/– दिनांक: पालमपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों की अनुपालना करना सुनिश्चित करें :-

1. समस्त संविधिक अधिकारी, चौ0स0कु0 हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ।
2. सह निदेशक सूचना एंव जन–संपर्क, चौ0स0कु0 हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर।
3. उप कुलसचिव स्थापना/ शैक्षणिक /भर्ती शाखा, चौ0स0कु0 हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ।
4. प्रभारी, विधि प्रकोष्ठ, चौ0स0कु0 हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ।
5. कुलपति /कुलसचिव महोदय के निजी सचिव, चौ0स0कु0 हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय नैटवर्क सिस्टम, चौ0स0कु0 हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर को विश्वविद्यालय की वैवसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।
7. समस्त व्यवहुति सहायक, सामान्य प्रशासन शाखा ।

5.4.18

उप कुलसचिव (प्रशासन)
चौ0स0कु0हि0प्र0कृषि विश्वविद्यालय,
पालमपुर।

भाषा एवं संस्कृति विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9
संख्याः भासनि:-08/98-राज भाषा- 8706-8856 दिनांक 24/5/2018

सेवा में,

कुलपति
चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर

विषय :- हिन्दी भाषा का सभी प्रशासनिक कार्यों में अधिकाधिक प्रयोग बारे। जिला कांगड़ा हि०प्र०

महोदया,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में विभाग में श्री गोविंद राम शर्मा, सुन्दर नगर जिला मण्डी तथा श्री दिलीप कुमार चूड़ीवाला के पत्र जो कि मूल रूप से महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को सम्बोधित है; सचिव (भाषा-संस्कृति) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ है जिसमें हिन्दी भाषा का सभी प्रशासनिक कार्यों में अधिक प्रयोग बारे लिखा है के संदर्भ में निवेदन है कि भारत की संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर,1949 को देवनागरी लिपि में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इसी के अनुपालन में हिमाचल प्रदेश में राजकीय कार्य राजभाषा में करने के उद्देश्य से फरवरी, 1975 में "हिमाचल प्रदेश राजभाषा अधिनियम" पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली प्रदेश की राजभाषा हिन्दी घोषित की गई। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कामकाज में राजभाषा को अपनाने के लिए 26 जनवरी, 1978 से पूर्ण हिन्दी लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।

प्रदेश सरकार सरकारी कामकाज में हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है, ताकि आम लोग सरकार की कार्य प्रणाली को आसानी से समझ सकें। सरकारी कामकाज का हिन्दी में होना प्रदेश के सामान्य जन के हित में है। इससे राष्ट्र भाषा को जनमानस में अधिकाधिक लोकप्रिय बनाया जा सकेगा। सरकारी कार्य जितना सरल और आम जनमानस की भाषा में होगा उतना ही पारदर्शी एवं सुलभ होगा।

विभाग हिन्दी को बढ़ावा देने हेतु तथा सरकारी कामकाज में इसके प्रयोग के लिए समय-2 पर सचिवालय निदेशालय तथा निगम/बोर्ड स्तर पर हिन्दीकरण प्रतिशतता की रिपोर्ट एकत्रित करता है और देखा गया है कि विभाग द्वारा हिन्दी में कार्य करने हेतु बार-2 आग्रह करने पर भी अंग्रेजी में कार्य कर रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि राजभाषा का सम्मान करते हुए भविष्य में अपने कार्यालय के प्रशासनिक कार्यों को हिन्दी में करने की कृपा करें।

Office of the Vice-Chancellor
Dy. No. 3222
Date 20.6.18
CSKHPKV Palampur

1444
22-6-18

भवदीया,

रुपाली ठाकुर (हि.प्र.से.)
निदेशक

दूरभाषः 0177-2626616 फेक्सः 0177-2628789 ईमेल : dirculture@gmail.com
पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि- दिनांकः

प्रतिलिपि-

1. सचिव (भाषा-संस्कृति) हिमाचल प्रदेश सरकार को पत्र संख्याः एल.सी.डी.-बी (15)-7/2016 दिनांक 6 मार्च, 2018 तथा पत्र संख्याः एल.सी.डी.-बी (15)-5/2016 दिनांकः 19 मार्च, 2018 के संदर्भ में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. अवर सचिव (RPG) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री गोविंद राम शर्मा गांव बाहोट, डाकघर सुन्दरनगर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ।
4. श्री दिलीप कुमार चूड़ीवाला को सूचनार्थ।

File
will office reply
21/6/18
सहायक संपादक

रुपाली ठाकुर (हि.प्र.से.)
निदेशक

SAG

(SA) कुलसचिव
19/6/18